न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 48/2018 (उदयपुर डिक्री)

टालूडी बाई पिता श्री सवा भील, निवासी ढीकली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भगवानलाल पिता श्री नाथूलाल गमेती (भील), निवासी सबलपुरा, बेदला माता जी के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती जवेरी बाई पिता श्री सवा भील, निवासी ढीकली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. शंकरलाल पिता लोगर भील, निवासी नवाघर, भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा. का. अ.
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा दिनांक
06.03.2018, प्रकरण संख्या 100/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रे.सं. 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 31–10–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ढीकली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार कुल किता 7 रकबा 1.5450 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की होकर उक्त भूमियों का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमियों में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/3

हिस्सा है एवं पक्षकारान इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमियों का अभी कानूनी बंटवाड़ा नहीं हुआ है। अतएवं भूमियों का विधिवत विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण पेश होने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 शंकरलाल की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मौखिक बंटवाड़ा होकर टालूडी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को आराजी नंबर 4274/1 रकबा 0.2243 हैक्टर, आराजी नंबर 4281 मी. रकबा 0.0450 हैक्टर एवं आराजी नंबर 4282/1 रकबा 0.0550 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.3243 हैक्टर का विक्रय कर दिया गया है, तब से उक्त विशिष्ठ भूमियों पर क्रेता प्रतिवादी संख्या 3 का कब्जा है। उक्त भूमि का दुबारा बंटवाड़ा किया जाता है तो उक्त जमीन प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में रखते हुए वादी का वाद डिक्री किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–02–2018 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाब का अंतिम अवसर दिया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 06–03–2018 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाब का अवसर देने के बाद उनका अवसर बन्द कर दिया गया तथा प्रकरण में सिर्फ बंटवाड़े का प्रकरण मानते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06–03–2018 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 टालूडी बाई द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03–05–2018 को प्रस्तुत की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार तहसीलदार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय

के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं कानून के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है तथा बिना साक्ष्यों का विवेचन किये जल्दबाजी में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकियात बनायी गयी हैं न ही वादी की साक्ष्य ली गयी है और जवाब बन्द कर सीधे ही प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी है। अपीलान्ट वसीयतनामे के आधार पर उक्त भूमि की मालिक काबिज है तथा अपीलान्ट द्वारा कुछ जमीन अन्य को विक्रय भी की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल खाना पूर्ति करते हुए निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी है, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेकार्डेड खातेदार विभाजन की दाद दी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–02–2018 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2) के जवाब का अन्तिम अवसर दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–03–2018 को अंतिम अवसर देकर जवाब बन्द किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब बन्द करने के बाद रेकार्ड के आधार पर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जिसमें तनकियात बनायी जाना अथवा साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जो जवाब दिया गया है वह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से वादी के वाद से सहमत था तथा उसका सिर्फ उजर यह था कि उसके द्वारा क्रय गयी भूमियां पूर्व विभाजन अनुसार उसके हिस्से में रखी जावे। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जवाब का अवसर बन्द हो जाने के बाद उक्त आदेश का कोई रिवीजन नहीं किया गया है, हालांकि उनके द्वारा अपील में यह उजर उठाया गया है, परन्तु वह मान्य नहीं है, क्योंकि उसे जवाब प्रस्तुत करने की हिदायत भी दी गयी है, परन्तु इसके बावजूद उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में अपीलान्ट का मुख्य उजर यह है कि सम्पूर्ण भूमियां उसके पिता

द्वारा उसे वसीयत की गयी है, जबकि वसीयत के बारे में उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में कुछ भी कथन नहीं किया गया है, न ही अपील स्तर पर उसके द्वारा वसीयत की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश 41 निय 27 जा. दी. के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में वसीयतनामे की एक फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है, उसके अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उक्त वसीयत अपंजीकृत होकर बिना गवाहों के है। अर्थात प्रथमता तो उक्त वसीयतनामा को इस न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर लिया ही नहीं जा सकता है, परन्तु यदि उसे देखा भी जाये तो उक्त वसीयत न तो प्रमाणित है, न ही किसी गवाह के हस्ताक्षर हैं, तद्नुसार उक्त वसीयत को इस स्तर पर कदापि विधिक नहीं माना जा सकता। जब वसीयत ही विधिक नहीं है, जिसका प्रमुख आधार अपीलान्ट द्वारा लिया गया है, तो उक्त वसीयत के आधार पर अपीलान्ट को किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलान्ट के लिए यह लाजमी था कि वह यदि उक्त भूमियां अपनी मानती है तो उसके द्वारा घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जो उसके द्वारा नहीं किया गया है। अब भी वह विभाजन के बाद अपना घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है, परन्तु अन्य बहनों द्वारा राजस्व रेकार्ड में खातेदार बनने के बाद जो उन्हें विरासत से भूमियां प्राप्त हुई हैं तथा भूमि की खातेदार होने के आधार पर उसके द्वारा किये गये विक्रय के आधार पर क्रेतागणों द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर रेकार्ड के आधार पर जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

टालुडी बाई पिता री सवा भील, निवासी ढीकली, तह0 बड़गांव, जिला उदयपुर बनाम **भगवानलाल गमेती पिता श्री नाथूलाल गमेती (भील), नि. सबलपुरा, बेदलामाता जी के पास, तहसील बड़गांव व अन्य**

अपील नं.....**48/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**06**.....माह.....**03**.....**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**31**....माह.....**10**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कमलेश चौहान**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ओंकारलाल डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**31**.....माह.....**10**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।